

खुलासा - महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के जीजा ने बदली थी जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

जनज्वार, दिल्ली। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के जीजा ने जज लोया के पोस्टमार्टम में दिखाई थी विशेष दिलचस्पी, कारवां पत्रिका की नई रिपोर्ट में हुआ इसका खुलासा।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया हत्याकांड का खुलासा करने वाली पत्रिका कारवां ने फिर एक बार सनसनीखेज दावा किया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नागपुर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मकरंद व्यावहारे ने राजनीतिक संबंधों को निभाने के लिए जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल की है।

पर चालाकी देखिए कि इस मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर मकरंद के हस्ताक्षर न तो जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की किसी फाइल पर है, न ही अदालत के किसी कागजात पर। पहली निगाह में लगता है कि मकरंद का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि भाजपा ने अपने अध्यक्ष और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकांटर मामले के आरोपी अमित शाह को बचाने के लिए कहां कहां चादर तान रखी है।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया की उस समय मौत हो गयी जब वह गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकांटर मामले की सुनवाई कर रहे थे और संभव था कि वह अगली सुनवाई पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को गिरफ्तार करने के आदेश दे सकते हैं। ऐसे में पूरी भाजपा अपने अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद अमित शाह को बचाने के लिए

झोंक दी गयी। ताकत इसलिए भी झोंकी कि अगर अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख मामले में नपते तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी पर आंच नहीं आती, यह असंभव था।

गौरतलब है कि गुजरात के सोहराबुद्दीन अनवर हुसैन शेख की 26 नवंबर 2005 की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। हत्या के एक चश्मदीद गवाह रहे तुलसीराम प्रजापति की भी दिसंबर 2006 में एक मुठभेड़ में मार दिए गए। उसके बाद इसके बाद जो जज एमबी गोसावी अमित शाह की संलिप्तता की जांच के लिए आए उन्होंने आते ही एक दिन का समय गवाए बिना दिसंबर 2014 में अमित शाह को इस मामले से बरी कर दिया और वह अपने बाल—बच्चों के साथ सुख चैन से जी रहे हैं।

अमित शाह की हत्या में संलिप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की देखेख में जांच चली। अमित शाह की इन हत्याओं में संलिप्तता का आरोप इतना सीधा था कि अदालत ने अमित शाह को राज्य-बदर कर दिया गया कि वह जांच को प्रभावित न कर सके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर करने की और कहा कि सुनवाई के दौरान जजों का तबादला न किया जाए।

पर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज जे टी उत्पत्त का ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मई 2014 में अदालत में उपस्थित होने समन किया। शाह ने पेश होने की छूट मांगी पर जज उत्पत्त ने नहीं दी, जिसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद ये मामला जज लोया को सौंप दिया गया, पर यहां भी अमित शाह जज लोया की अदालत में पेश नहीं हुए और एक दिसंबर 2014 को लोया की मौत नागपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद जो जज एमबी गोसावी अमित शाह की संलिप्तता की जांच के लिए आए उन्होंने आते ही एक दिन का समय गवाए बिना दिसंबर 2014 में अमित शाह को इस मामले से बरी कर दिया और वह अपने बाल—बच्चों के साथ सुख चैन से जी रहे हैं।

नागपुर के गवर्नरमेंट मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. मकरंद व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुधीर मंगतीवार के जीजा हैं। कारवां की जांच रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करें तो बहुत साफ हो जाता है कि व्यावहारे ने न सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर जज लोया की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने मनमुताबिक बनवाया है, बल्कि इसके लिए जिस तरह का भी हथकंडा अपनाने की जरूरत पड़ी है, उसका इस्तेमाल किया है।

नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग में न्यायाधीश बीएच लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दो महीने तक रिपोर्टर निकिता सक्सेना ने सिलसिलेवार जांच की। इस जांच के बाद निकिता ने अपनी रिपोर्ट में कई नए खुलासे के बाद लोया हत्याकांड के संदेहों को बहुत ही प्रामाणिक

तथ्य मिले हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बहुत ही चालाकी और तैयारी के साथ जज लोया की हत्या को हर स्तर पर हॉट अटैक में बदलने की सुनियोजित तैयारी की गयी आती, यह असंभव था।

महत्वपूर्ण यह है कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर मकरंद व्यावहारे के निर्देश पर जारी की गई थी। व्यावहारे ने तय किया था कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन—कौन से विवरण शामिल किए जाने हैं और किन तथ्यों को शामिल नहीं करना है। बाद में गवर्नरमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतों पर जांच बिटाई गई थी। डॉ. मकरंद जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी चालाकी से फेरबदल करवाए थे, वह जज लोया के किसी भी मेडिकल दस्तावेज में और अदालत में तक अपने नाम को सामने नहीं आने देने में अब तक सफल हो रहा था। जज लोया मामले में भड़क उठे जब एक जूनियर डॉक्टर ने जज लोया के सिर और पीठ पर लगी चोट को लेकर सवाल किया। कर्मचारियों के मुताबिक डॉक्टर व्यावहारे किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी उन तथ्यों का जिक्र हो जो मौके पर दिखाई दे रहे थे।

सरकारी अधिकारियों के दस्तावेजों के मुताबिक जज लोया का पोस्टमार्टम डॉ. एनके तुमराम ने किया था, जो कि गवर्नरमेंट मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग में लेफ्टर थे। जबकि सच्चाई यह है कि पोस्टमार्टम डॉ. मकरंद व्यावहारे के निर्देशों पर किया गया था, जो तब वहीं प्रोफेसर थे और अब इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर में फोरेंसिक विभाग के प्रमुख हैं। व्यवहारे महाराष्ट्र की पावरफुल

मानी जाने वाली चिकित्सा परिषद के सदस्य भी हैं जो कि राज्य के सभी चिकित्सकों के लिए पर्यवेक्षी निकाय है।

डॉ. व्यवहारे संस्थान और मेडिकल कॉलेज में राजनीतिक संबंधों के चलते कोई भी काम करवाने वाले शख्स के बतौर जाने जाते थे। अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ लेकर ही वे एक लेफ्टर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत अन्य पावरफुल जगहों पर पहुंच बनाने में सफल रहे हैं। व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार के जीजा हैं, जो कि फड़नवीस की कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखते हैं।

पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे कर्मचारियों ने रिपोर्टर से हुई बातचीत में बताया कि डॉक्टर व्यावहारे पूरे पोस्टमार्टम के दौरान खुद खड़े रहे। डॉक्टर व्यावहारे उस समय बुरी तरह भड़क उठे जब एक जूनियर डॉक्टर ने जज लोया के सिर और पीठ पर लगी चोट को लेकर सवाल किया। कर्मचारियों के मुताबिक डॉक्टर व्यावहारे किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी उन तथ्यों का जिक्र हो जो मौके पर दिखाई दे रहे थे।

डॉक्टरी रिपोर्टों के मुताबिक जज लोया की मौत हॉट अटैक से हुई है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट से साफ है कि जज लोया की मौत का सच जान—बूझकर छुपाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री के जीजा ने भाजपा हाईकमान के इशारे पर एक साजिशकर्ता की भूमिका निभाई है।

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दुःखद हादसा : दस मौतों को सरकार पी गयी

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दुःखद हादसा हुआ एक बहुमिजिला होटल की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कुछ लोग लापता हैं लेकिन कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए इस घटना को कार की टक्रे से हुई दुर्घटना का रूप दे दिया अनेक न्यूज चैनलों और न्यूज साइट पर यही हेडलाइन बनाई, एनडीटीवी ने भी.....

क्या किसी कार के किसी इमारत के पिलर से टक्रा जाने पर इमारत गिर जाती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्कॉडा कार की टक्रे से होटल के पिलर को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही थी को बन्दा अब सामने आया है और बोल रहा है कि मैं तो गाड़ी पार्क कर के चला गया था

प्रश्न यह उठता है कि दस लोग मारे जाते हैं कई घायल होते हैं तो मीडिया इस घटना को इस तरह से प्रस्तुत करने में इंटरस्टेंड दिखाई देता है कि जिससे लोगों का ध्यान सिर्फ तात्कालिक कारण पर जाए, कारण इंदौर में हुई पिछली दुर्घटना में छिपा है।

जब डीपीएस स्कूल वाला बस हादसा हुआ तो जैसी घटना हुई उसे वैसा ही पेश किया गया और उस घटना में प्रशासनिक लापरवाही की बात बहुत बड़ा मुद्दा बन गयी, और मुख्यमंत्री तक को इस घटना पर स्पष्टीकरण देना पड़ा, इसलिए इस बार इस घटना में विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि प्रशासनिक लापरवाही जैसी बात दबा दी जाए और 10 लोगों की मृत्यु को एक दुर्घटना का रूप दिया जाए। जिस रस्ते होते हैं कि अगले दशक में उनका कोयला

जिस खदानों से जुड़े हुए कोल ब्लॉक में हिंडलालोंको 3500 रु प्रति टन कोयला निकाल रही हैं वहीं अडानी को म